न्यायालय कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

कमांकः— 09/अ—19(3)/2017—18/13140 बैतूल दिनांक 06/12/2017

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांकः—विकास/2016/29710,दिनांक 11/11/2016 द्वारा जिले के विभिन्न विकासखण्डो में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के उक्त पत्र की छायाप्रति जिले के समस्त तहसीलदारो की ओर भेजकर, आवेदित प्रयोजन हेतु भूमि का चयन करके भूमि आवंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया ।

2— तहसीलदार चिचोली/अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बैतूल द्वारा ग्राम ऊँचागोहॉन तहसील चिचोली में भूमि चयन कर आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः—

(1)— आवेदित प्रयोजन मौजा ऊँचागोहॉन प.ह.नं.16 तहसील चिचोली स्थित भूमि ख. न. 459 रकबा 9.012 हेक्टे. मद पहाड़ चट्टान का चयन किया गया एवं उक्त चयनित भूमि में से 4000 वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई, निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए।

(2)— दिनांक 26—1—2017 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से, मौजा ऊँचागोहॉन में उपस्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।

(3)— वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा ऊँचागोहॉन तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 459 रकबा 9.012 हेक्टेयर भूमि पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(3)— तहसीलदार चिचोली एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा मौजा ऊँचागोहॉन स्थित खसरा नंबर 459 रकबा 9.012 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 3600 वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

3— म0प्र0शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात—नजूल/99 दिनांक 27—1—2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक —7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड— चार —एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणो के निराकरण करने एवं मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की की समस्त धाराओ के प्रकरणो का निराकरण करने हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— अतएव तहसीलदार चिचोली/अनु0 अधि0 (रा.) बैतूल के उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर मौजा ऊँचागोहॉन प.ह.नं.16 तहसील बैतूल स्थित भूमि 459 रकबा 9.012 हेक्टे. मद पहाड़ चट्टान में से 3600 वर्गफुट (0.034 हेक्टेयर) भूमि जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है, को आबादी घोषित करते हुए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल (मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग) को नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु निम्नलिखत शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती है।

(1)— हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)– भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:– 09 /अ–19(3)/2017–18/ 13140 बैतूल दिनांक 06 /12/2017

प्रतिलिपि:–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल।
2– तहसीलदार चिचोली जिला बैतूल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व अभिलेख में यथाआवश्यक संशोधन करके संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल।
4– खण्ड चिकित्सा अधिकारी चिचोली जिला बैतूल।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
6– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिला–बैतूल